

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 654]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2018—पौष 7, शक 1940

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

शुद्धि-पत्र

अधि. क्र. 45-एफ-1-09-2018-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 14 की उपधारा (2) एवं धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 31 सन् 1961) की धारा 355 के साथ पठित धारा 32 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अधिसूचना क्र. 20-एफ-1-09-2018-अठारह-3, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 30 जून 2018 को प्रकाशित की गई थी. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रकाशित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में नियम 43 के उपनियम (3) में वाक्यांश “उपरोक्त में कोई नहीं (नोटा)” के स्थान पर वाक्यांश “इनमें कोई नहीं” (नोटा) पढ़ा जाए.

No. 45-F1-09-2018-XVIII-3.—This is in reference to the notification No. 20-F-1-09-2018-Eighteen-3 of the department, which is published on 30th June 2018 in Madhya Pradesh Gazette (extra-ordinary) by which amendments in Madhya Pradesh Nagar Palika Nirvachan Niyam, 1994 are notified, is corrected as under on page 744 of the said Gazette. In rule 43 after sub-rule (2) in sub-rule (3) instead of the phrase “None of the above(NOTA)” phrase to be read is “None out of these”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जांगिड, उपसचिव.